भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3991

उत्तर देने की तारीखः 25.03.2025

अनुसूचित जाति में समुदायों का समावेश

3991. श्री तनुज पुनिया:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों में विभिन्न समुदायों को शामिल करने के लिए सरकार को प्रस्ताव/सिफारिशें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्ताव/सिफारिशें किन-किन राज्यों ने किस-किस तारीख को भेजी हैं;

(ग) उन समुदायों के नाम क्या हैं जिनके नाम का प्रस्ताव राज्य सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार को भेजा है/सिफारिशें की हैं; और

(घ) उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): जातियों/समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार और समुदायवार विवरण नीचे दिया गया है-

(i) वर्ष 2022 में, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर ने दिनांक 15.07.2022 के पत्र के माध्यम से वाल्मीकि समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था।

(ii) वर्ष 2023 में, आंध्र प्रदेश राज्य ने दिनांक 06.10.2023 के पत्र के माध्यम से बेडा (बुडगा) जंगम समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था।

(iii) वर्ष 2024 में, उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने पत्र दिनांक 22.01.2024 के माध्यम से कंजर के स्थान पर गिहारा समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था।

(घ): प्रस्तावों पर निर्धारित तौर-तरीकों के अनुसार कार्रवाई की गई है और उनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

(i) वाल्मीकि समुदाय को संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024, दिनांक 12/02/2024 के तहत संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर लिया गया है।

(ii) बेडा (बुडगा) जंगम समुदाय के संबंध में प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश सरकार को वापस कर दिया गया है ताकि भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय (ओआरजीआई) की टिप्पणियों के आलोक में उनकी सिफारिश को और अधिक उचित ठहराया जा सके।

(iii) उत्तर प्रदेश सरकार ने अपेक्षित नृवंशविज्ञान (ethnographic) विवरण के बिना कंजर के स्थान पर गिहारा समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार से नृवंशविज्ञान (ethnographic) विवरण के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है तथा अभी प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

*****